संशोधन

संख्या- 87 /2026 / 869 /चार-2026- 1937689

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2026**

विषय:- सार्वजनिक रामलीला मैदान का सुदृढ़ीकरण/सौंदर्यीकरण आदि विकास का कार्य हेतु **56- सार्वजनिक रामलीला मैदानों/ स्थलों का विकास, विस्तार, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्य**- 24- वृहद निर्माण कार्य में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का प्राविधान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या- 83/2026/ 820/चार-2026-1937689 दिनांक 16 मार्च, 2026 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में शासनादेश संख्या- 83/2026/ 820/चार-2026-1937689 दिनांक 16 मार्च, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. शासनादेश संख्या- 83/2026/ 820/चार-2026-1937689 दिनांक 16 मार्च, 2026 के प्रस्तर-1 की तालिका के क्र0-7 के सम्मुख अंकित कार्यदायी संस्था का नाम टंकण त्रुटिवश 'यू0 पी0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0' के स्थान पर 'सी0 एंड डी0 एस0' अंकित हो गया है।

3. इस संबंध में उक्त शासनादेश संख्या- 83/2026/ 820/चार-2026-1937689 दिनांक 16 मार्च, 2026 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2026 के प्रस्तर-1 की तालिका के क्र0-7 के सम्मुख कार्यदायी संस्था का नाम 'सी0 एंड डी0 एस0' **के स्थान पर** 'यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0' पढ़ा जाए।

4. उक्त शासनादेश संख्या- 83/2026/ 820/चार-2026-1937689 दिनांक 16 मार्च, 2026 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- संबंधित जिलाधिकारी।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in